भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

27.11.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1492 का उत्तर

स्टेशनों की सुरक्षा

1492. श्री मितेष पटेल (बकाभाई):

श्रीमती शारदा अनिल पटेलः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार संवेदनशील रेलवे स्टेशनों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ऐसे रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों हेतु अपर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसे रेलवे स्टेशनों पर उन्नत एकीकृत सुरक्षा उपस्कर स्थापित किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

स्टेशनों की सुरक्षा के संबंध में दिनांक 27.11.2019 को लोक सभा में श्री मितेष पटेल (बकाभाई) एवं श्रीमती शारदा अनिल पटेल के अतारांकित प्रश्न सं. 1492 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): स्टेशनों की संवेदनशीलता का आकलन करना सतत प्रक्रिया है और अन्य कारकों के अलावा, हमले के खतरे, सामरिक महत्व, संभाले जाने वाली भीड़ जैसे कारकों के आधार पर संवेदनशील के रूप में पहचाने गए स्टेशनों पर सुरक्षा प्रबंधन में विशेष ध्यान दिया जाता है।

(ख) और (ग): गत तीन वर्ष में अपर्याप्त सुरक्षा के बारे में प्राप्त शिकायतों की संख्या 43 (2016), 37(2017) और 32(2018) हैं। इन सभी शिकायतों की प्राप्ति होने पर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के समन्वय से त्वरित कार्रवाई की गई थी।

(घ) से (च): रेलों पर पुलिस की व्यवस्था करना राज्य सरकार का विषय है, इसलिए रेल परिसरों और चलती गाड़ियों में अपराधों की रोकथाम करना, मामलों का पंजीकरण करना, उनकी जांच करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना और रेलपथों, सुरंगों और पुलों की सुरक्षा, राज्य सरकारों का सांविधिक उत्तरदायित्व है, जिसका निर्वहन वे राजकीय रेल पुलिस (रारेपु) के जरिए करते हैं। रेलवे सुरक्षा बल (रेसुब) यात्रियों और यात्री क्षेत्र की बेहतर रक्षा और सुरक्षा तथा उससे संबंधित मामलों के लिए राजकीय रेल पुलिस के प्रयासों में सहायता करता है।

रेलों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए सभी राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों में संबंधित राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशक / आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) का गठन किया गया है। अपराध की संभावना वाली गाड़ियों, स्टेशनों और खंडों की पहचान करने और राजकीय रेलवे पुलिस के साथ समन्वय करके इन गाड़ियों/ स्टेशनों और खंडों में यात्रियों के साथ अपराध का पता लगाने के लिए अपराध तथा अपराधियों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यविधि का नियमित विश्लेषण किया जाता है।

रेलों द्वारा सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण और अपग्रेडेशन की प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है। रेलवे स्टेशनों पर समग्र सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए सुरक्षा उपाय किए जाते हैं जिनमें अन्य उपायों के साथ-साथ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पहुंच नियंत्रण, प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरों की सहायता से निगरानी, सुरक्षा हैल्पलाइन नंबर 182 का परिचालन और अपग्रेडेशन आदि, संवेदनशील खंडों में गाड़ियों का मार्गरक्षण, महिला सवारी डिब्बों में महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, रेलवे स्टेशन और गाड़ियों में अप्राधिकृत व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान शामिल हैं।

इसके अलावा, संवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की दृष्टि से 202 चिह्नित स्टेशनों के लिए एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (आईएसएस) की संस्थापना की स्वीकृति दी गई है जिसमें क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) निगरानी प्रणाली, पहुंच नियंत्रण, निजी एवं

सामान की जांच प्रणाली एवं बम का पता लगाने वाली प्रणाली शामिल हैं। आईएसएस के अंतर्गत 133 चिह्नित रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आईएसएस के अंतर्गत 167 बैगेज स्कैनरों, 1833 हैंड हैल्ड मेटल डिटेक्टरों, 58 वाहन जांच प्रणाली(यूवीएसएस) और 86 बम का पता लगाने वाली मदें आईएसएस के तहत मुहैया कराई गई हैं।

****